भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3351
20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

संधारणीय विनिर्माण और घरेलू इस्पात की मांग

3351 **डा. के. लक्ष्मणः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस्पात क्षेत्र में हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पहल क्या हैं;
(ख) इस्पात विनिर्माण में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाए जाने का ब्यौरा क्या है;
(ग) एमएसएमई तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए इस्पात का उचित मूल्य निर्धारण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए आयात और निर्यात में संतुलन बनाने की कार्यनीति क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख) : इस्पात क्षेत्र में ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, उर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय उर्जा को अपनाने के लिए की गईं पहलें निम्नानुसार हैं:-

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

(ii) इस्पात मंत्रालय ने इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लैन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील एवं संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iii) इस्पात मंत्रालय ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार (04) पायलट परियोजनाएँ प्रदान की हैं।

(iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।

(v) विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) कार्यक्रम लागू किया है, जिसके तहत बड़े इस्पात संयंत्रों को उनकी विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए लक्ष्य सौंपे गए थे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इस्पात संयंत्रों ने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन, कोक ड्राई क्वेंचिंग और अन्य ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों जैसे उपायों को अपनाया।

जारी.....2/

(vi) विद्युत मंत्रालय ने सितंबर, 2025 में नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) को अधिसूचित किया है, जो लौह और इस्पात क्षेत्र सहित नामित उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए अनिवार्य करता है।

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में एमएसएमई सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है तथा मूल्य एवं आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों, बाजार की गतिशीलता और इनपुट सामग्री की लागत और प्रचलित करों/शुल्कों के आधार पर लिए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आयात और निर्यात को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईईंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

iii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करना।

iv. केंद्रीय बजट 2026-27 में, घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

   क. फेरो-निकेल पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) यथावत रखा गया है।

   ख. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाले फेरस स्क्रैप, मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल और निर्दिष्ट वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट दिनांक 31.03.2028 तक बढ़ा दी गई है।

v. चीन और वियतनाम से आयातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

vi. सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाली वस्तुओं पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में "गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है।

******